

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-



श्री कमल किशोर जैन, निवासी 28, खोड
का बास, पाली, पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर,
पाली)

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 34 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/19	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकरण अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर पत्रावली दिनांक 29/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	590-91 21/5/19
29/5/19	<p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से उनके सिविल अपील पेश की गई है जिसे खिलवाया जाये।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी को जरूर पत्रांक 590 डि० 6/5/19 के संदर्भ में द्वारा लिखा गया उनके द्वारा जरूर पत्रांक सं० सं० 30/403/2019/1032 दिनांक 14-5-2019 के प्रत्युत्तर लिखा गया है जिसे अनुसार अपीलार्थी को सूचना जरूर उनके पत्रांक 05 दिनांक 10-1-2019 के द्वारा 24 मूल उपलब्ध करा दी गई है। इस अपील के संदर्भ में किसी प्रकार की कार्यवाही अब प्रयोजित नहीं होने से अपील वापस की जाती है। लोक सूचना अधिकारी का पत्र शामिल मिले।</p> <p>पत्रावली अगले फंडेशन की जाकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	771 4/6/19